



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935—अप्रैल 10, 2013
Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935—April 10, 2013

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 10, 2013

संख्या प. 2 (20) विधि/2/2013.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 10)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **1994 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 65 का संशोधन.**— राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे।

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 69 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 69 के खंड (ग) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आधा प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 10, 2013

No. F. 2 (20) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 10):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
ACT, 2013**

(Act No. 10 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- The existing clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of

1994), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, shall be deleted.

3. Amendment of section 69, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In sub-clause (ii) of clause (c) of section 69 of the principal Act, for the existing expression “half percent”, the expression “one percent” shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.